Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976

*158. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY :

SHRI CHIMANBHAI MEHTA :

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 is going to be modified drastically or scrapped ;

(b) whether it is also a fact that the estimated projection of surplus land due under Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 has not materialised as a result of litigation ; and

(c) if so, the details of land made available to States, lands under dispute and the projected estimate of surplus lands ?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SMT. SHEILA KAUL) : (a) The Government of India has formulated various proposals in order to modify the Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976.

(b) and (c) The surplus land under Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976 was estimated to be 2,18,356 hectares out of which 14,191 hectares could be physically taken possession of by the States/UTs as intimated by them upto February, 1994. The balance surplus land could not be taken over for various reasons like litigation, delay in processing the statements filed under the Act, delay in getting information from different States in which the surplus land is located, delay in clearing the objections filed against the orders of the competent authorities etc. The Urban Land (Ceiling & Regulation) Act is implemented by the State Government. Hence information regarding litigation is not available at Central Government level.

बाढ़ को रोकने के उपाय

*159. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बाढ़ के कारण करोड़ों रुपये की बर्बादी होने के बावजूद बाढ़ को रोकने हेतु केन्द्र स्तर पर कोई उपाय नहीं किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ को रोकने के लिए उपायों का पता लगाने और उनके बेहतर प्रबन्ध के वास्ते 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक-थालो (बेसिनों) को बाढ़ व्यवस्था के लिए व्यापक मास्टर योजनाएं तैयार करने के वास्ते 1972 और 1981 में क्रमशः गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग एवं ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की गयी। इन संगठनों द्वारा तैयार की गयी सभी मास्टर योजनाएं जिनमें दीर्घावधिक और अल्पावधि उपायों की सिफारिशें की गई हैं, संबंधित राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई हैं कि वे भू-सर्वेक्षण, अन्वेशण और उनका क्रियान्वयन करने के बाद विस्तृत योजनाएं तैयार करें।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा निर्यात

160. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अपने उत्पादन का निर्यात अपने स्तर पर कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन का कितना-कितना और कितने-कितने मूल्य का निर्यात किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के संबंध में क्या-क्या प्रयास किए गए हैं ?